स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 139, दिनाकः 09–05–2024

लारेन्स बिश्नोई गैंग का सदस्य जनपद गोरखपुर से गिरफ्तार।

दिनांक 09–05–2024 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को लारेन्स बिश्नोई गैंग के एक सदस्य मनीष कुमार यादव को जनपद गोरखपुर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरणः

1– मनीष कुमार यादव पुत्र सदानन्द यादव, निवासी–वार्ड नं0–43 बरगदवा (रामलीला मैदान के पास) बरगदवा, थाना चिलुआताल, जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समयः

बरगदवा, रामलीला मैदान के पास से थानाक्षेत्र चिलुआताल, जनपद गोरखपुर पर दिनांक 09–05–2024, समय लगभग 17:00 बजे लगभग।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रहीं थीं।

इसी मध्य लारेन्स बिश्नोई गैंग के सदस्यों की गिरफ्तारी हेतु अम्बाला एस0टी0एफ0 हरियाणा द्वारा एस0टी0एफ0, उ0प्र0 से सहयोग मांगा गया, जिसके सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, गोरखपुर द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ टीम गोरखपुर एवं अम्बाला एस0टी0एफ0, हरियाणा द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। इसर दौरान ज्ञात हुआ कि मनीष कुमार यादव, जो लारेन्स बिश्नोई गैंग का सदस्य है, बरगदवा, गोरखपुर में मौजूद हैं। इस सूचना पर विश्वास कर एस0टी0एफ0 टीम व अम्बाला एस0टी0एफ0 हरियाणा द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त को बरगदवा रामलीला मैदान के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ पर गिरफ्तार मनीष कुमार यादव उपरोक्त ने बताया कि शशांक पाण्डेय पुत्र नित्यानन्द पाण्डेय निवासी आदर्श नगर सिंघड़िया, गोरखपुर जो पूर्व में अम्बाला जेल में बंद था, वहीं उसकी मुलाकात विक्की लाला से जेल में हुई थी, जो लारेन्स बिश्नोई गैंग का सदस्य है। जेल से छूटने के बाद शशांक भी लारेन्स बिश्नोई गैंग का सदस्य बन गया। शशांक के जरिये मनीष कुमार यादव भी लारेन्स बिश्नोई गैंग से जुड़ गया और ये लोग इन्दौर मध्य प्रदेश से लारेन्स बिश्नोई गैंग को असलहा सप्लाई करने लगे।

अप्रैल 2023 में अम्बाला शहर में मखन सिंह लबाना से लारेन्स बिश्नोई के गैंग के अनमोल बिश्नोई ने 50 लाख की रंगदारी की मांग की थी पैसा न देने पर उसके घर पर फायरिंग करवाई थी। अनमोल बिश्नोई लारेन्स बिश्नोई का चचेरा भाई है। जब अनमोल बिश्नोई

ने फिरौती मांगी थी तब वह विदेश में था। फायरिंग के लिये विक्की लाला के साथ मिलकर शशांक पाण्डेय और मनीष कुमार यादव ने पिस्टल की सप्लाई बिश्नोई गैंग को की थी।

विक्की गर्ग उर्फ लाला पुत्र जयकिशन निवासी–शक्तिनगर नजदीक मानव चौक अम्बाला शहर एवं शशांक पाण्डेय पुत्र नित्यानन्द पाण्डेय निवासी आदर्श नगर सिंघड़िया, गोरखपुर वर्तमान समय में जनपद अम्बाला के जेल में निरूद्ध है।

लारेन्स बिश्नोई गैंग को असलहा सप्लाई करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0–330/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना शाहाबाद, जिला कुरूक्षेत्र, हरियाणा में पंजीकृत है। इस मुकदमें में मनीष कुमार यादव वांछित है।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना चिलुआताल, जनपद गोरखपुर में दाखिल कर अग्रिम कार्यवाही अम्बाला एस0टी0एफ0 हरियाणा द्वारा की जा रही है।

मनीष कुमार यादव का ज्ञात आपराधिक इतिहासः–

क्र0 सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जिला
01	0243/2019	147, 323, 342, 427, 504, 506 भा0द0वि0	गोरखनाथ	गोरखपुर
02	330/2023	3/25 आर्म्स एक्ट	शाहाबाद	कुरूक्षेत्र, हरियाणा